कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल याचिका संख्या 17718/2019 श्रीकिशन वर्मा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01.2021 द्वारा याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार, एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल याचिका संख्या 6881/2015 चम्पालाल व्यास बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.07.2018 के परिप्रेक्ष्य में निस्तारित किये जाने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए।

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 6881/2015 श्री चम्पालाल व अन्य बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा आदेश दिनांक 23.07.2018 द्वारा याचिकार्थीगण के पक्ष में निम्नानुसार आदेश पारित किया गया– "In view of the foregoing discussion all these writ petition are allowed and the respondents are directed to allow the petitioners; Champalal Vyas, Laxmi narayan soni and Gopal Das Soni, pay scale of the promotional post from the date they are performing duties of principal i.e. 30-11-2009, 20-09-2010 and 23-10-2009 respectively, with all consequential benefits including the pay fixation."

माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में याचिकार्थी श्रीकिशन वर्मा एवं याचिकार्थी श्री बद्रीनारायण द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के पातेय वेतन प्रधानाध्यापक पद पद पर कार्यग्रहण दिनांक से पदोन्नति के समस्त परिलाभ एवं पेंशन वृद्धि का लाभ दिये जाने की मांग की गई।

विभाग द्वारा राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के ग्रुप–एफ के वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत कार्मिकों को कार्मिक विभाग की स्वीकृति आई.डी.संख्या 1106/कार्मिक/क–2/09 दिनांक 06.09.09 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर उनके स्वयं के पातेय वेतन पर प्रधानाध्यापक मावि एवं समकक्ष पदों पर पदस्थापन की कार्यवाही इस शर्त के साथ की गई थी कि कार्मिक को उक्त पदस्थापन पर किसी प्रकार के वेतन स्थिरिकरण का लाभ देय नहीं होगा तथा भविष्य में पातेय वेतन पर उच्च पद का कार्य करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार के कोई परिलाभ की मांग नहीं करेंगे। उक्त पदस्थापन नियमित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषाओं के आधार पर की गई पदोन्नति नहीं थी।

प्रधानाध्यापक मावि एवं समकक्ष का पद राजस्थान सेवा नियम–1970 के ग्रुप–एफ में सम्मिलित पद है तथा उक्त पद 50 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं 50 प्रतिशत पदोन्नति का पद होने के कारण 50 प्रतिशत पद विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषओं के आधार पर भरे जाने का प्रावधान है तथा विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन की अभिशंषा उपरान्त ही प्रधानाध्यापक मावि पद का पदोन्नति परिलाभ प्रदान किये जाने का नियमों में प्रावधान है। विभाग द्वारा पातेय वेतन पर पदस्थापन करते समय स्पष्ट रूप से अंकित किया गया था कि सम्बन्धित नियन्त्रण अधिकारी राज्यसेवकों के कार्यमुक्ति से पूर्व इस बात की अन्डरटेकिंग लेवें कि वित्त विभाग के आदेश दिनांक 30.07.2015 एवं 23.02.2015 के अनुसार वास्तविक लाभ विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा उपरान्त पदोन्नति पर कार्यग्रहण किये जाने की दिनांक से देय होगा।

'अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा एस.बी.सिविल याचिका संख्या 17718/2019 श्रीकिशन वर्मा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01.2021 एवं एस.बी.सिविल याचिका संख्या 6881/2015 चम्पालाल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.07.2018 के परिप्रेक्ष्य में श्री श्रीकिशन वर्मा एवं श्री बद्रीनारायण के अभ्यावेदन दिनांक 11.10.2021 एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय के डी.बी.स्पेशल संख्या 912/2019 राज्य बनाम चम्पालाल व अन्य तथा 02 अन्य अपीलों में पारित समेकित निर्णय दिनांक 31.07.2019 के क्रम में शासन के पत्रांक प.17(221) माध्य/शिक्षा–2/विप्र/2015 दिनांक 02.06.2020 द्वारा निर्णय जारी कर उक्त डी.बी. अपीलों में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर की खण्डपीठ द्वारा पारित समेकित निर्णय दिनांक 31.07.2019 के विरूद्ध शासन स्तर से आगे विशेष अनुमति याचिका दायर नहीं किये जाने का स्थायी समिति द्वारा निर्णय लिया जाकर प्रकरण में निर्णय एवं वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त राय अनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश निम्नानुसार प्रदत्त है–

"AD is requested that in compliance of D.B Special Appeal (Writ) No. 1202\2019 State of Rajasthan Vs Sh. Siya Ram Sharma and 3 other Court judgments actual payment may be allowed during the period these employees have performed duties of the higher post for posting as Patey Vetan and the arrangement of patey vetan may not be linked with the DPC held later on. The fixation of pay on DPC may be made as per the provisions of the service rules, for the earlier period notional fixation is to be made and from the date of actual joining, actual payment on promotion through DPC may be allowed as per rules. The pay drawn as patey vetan against the higher post is not to be

Scanned with CamScanner

taken into account for the purpose of fixation of pay after selection through DPC and if pay on promotion through DPC is fixed on lower stage then the pay drawn as patey vetan, difference of patey vetan and pay fixed on promotion shall not be admissible as personal pay.This bears approval at competent level in FD."

उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए याचिकार्थी श्री श्रीकिशन वर्मा एवं श्री बद्रीनारायण द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 11.10.2021 को स्वीकार करते हुए याचिकार्थीगण द्वारा पातेय वेतन प्रधानाध्यापक भावि एवं समकक्ष पद पर कार्यग्रहण किये जाने की दिनांक से इनका वेतन वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त राय दिनांक 17.02.2020 एवं वित्त विभाग के आदेश एफ.1(7)वित्त/नियम/2008 दिनांक 30.07.2013 एवं दिनांक 23.02.2015 के प्रावधानानुसार किये जाने की स्वीकृति के आधार पर अभ्यावेदन दिनांक 11.10.2021 को निरस्तारित किया जाता है। सभी पक्षकार सूचित हों।

(काना राम)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/ए-1/एसबीसिया/श्रीकिशन व अन्य/17718/2019 दिनांकः 21/12/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
4. सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
5. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री श्रीकिशन वर्मा एवं श्री बद्रीनारायण, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापकों को सूचनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते